

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

क्रमांक - 01/2022

अनवान :-

1. इस्लाम खां पुत्र हाजी रहमतुले खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
2. लाल खां पुत्र असलम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।

:-वादीगण

- बनाम
1. आमना बानो पत्नी अजीज खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
 2. नूरबानो पत्नी हबीब खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
 3. अयूब खां पुत्र असलम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादी श्री महेन्द्र जांगिड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डीकी किया जाता है रोही मौजा 7 बीएचडी के खाता सं० 16/11 के मु० न० 49 के किला न० 12 की 0.253 नहरी एव रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21 की 0.253 है०, किला न० 22 की 0.253 है०, किला न० 23/1 की 0.152 है०, किला न० 23/2 की 0.101 है०, मु० न० 49 के किला न० 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 7 की 0.240 है०, किला न० 8 ता 11 प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल रकबा 2.7700 है० जिसमें नहरी 2.6690 है०, गै० मु० नहर 0.101 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त मुश्तर्फा की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

इस्लाम खां पुत्र हाजी रहमतुला खां जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:-

रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21/1 की 0.211 है०, मु० न० 49 के किला न० 1 की 0.253 है०, किला न० 2 की 0.253 है०, किला न० 3/1 की 0.228 है०, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता कुल रकबा 0.970 है० जिसमें नहरी 0.945 है०, गै० मु० रास्ता 0.025 है०

अयूब खां, लाल खां पि० असलम खां जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21/2 की 0.042 है०, किला न० 22/1 की 0.169 है०

मु० न० 49 के किला न० 11, 12 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 10 की 0.0585 है० किला न० 9 की 0.0585 है०, किला न० 8 की 0.0585 है०, किला न० 7 की 0.0585 है०, किला न० 7/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता कुल रकबा 0.976 है० जिसमें नहरी 0.951 है०, गै० मु० रास्ता 0.025 है०

नूरबानों पत्नी हबीबखां खां जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 22/2 की 0.084 है०, किला न० 23/1 की 0.127 है०, किला न० 23/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 23/3 की 0.101 है० गै० मु० नहर,

Kalpit
अध्यक्ष अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

... नं० 40 के किला नं० 9/2 की 0.070 है०, किला नं० 10/2 की 0.1945 है० कुल रकबा 0.2645 है०
... जिरागे नहरी 0.4755 है० गै० मु० रास्ता 0.025 है०, गै० मु० नहर 0.101 है०

... बानो पत्नी अजीज जाति कायगखानी साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा चक 7
... मु० नं० 49 के किला नं० 7/2 की 0.1565 है०, किला नं० 8/2 की 0.1945 है०, किला
... 9/3 की 0.1245 है० कुल रकबा 0.4755 है० नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै० मु० खाला रास्ता
व किरम भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन
को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल
दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ... 11/11/20... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।



Kalpit
(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

01/2022

- जवाब :-
1. इस्लाग खां पुत्र हाजी रहमतुले खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
 2. लाल खां पुत्र असलम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. आमना बानो पत्नी अजीज खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
2. नूरबानो पत्नी हबीब खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
3. अयूब खां पुत्र असलम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड न० पुराना 6 नया 12 तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादीगण
श्री महेन्द्र जांगिड प्रतिवादीगण



निर्णय

दिनांक: 1/7/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 बीएचडी के खाता सं० 16/11 के मु० न० 49 के किला न० 12 की 0.253 नहरी एव रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21 की 0.253 है०, किला न० 22 की 0.253 है०, किला न० 23/1 की 0.152 है०, किला न० 23/2 की 0.101 है०, मु० न० 49 के किला न० 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 7 की 0.240 है०, किला न० 8 ता 11 प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल रकबा 2.7700 है० जिसमें नहरी 2.6690 है०, गै० मु० नहर 0.101 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त मुश्तर्का की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 की आर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। व प्रतिवादी सं० 2 ने उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रतिवादी सं० 4 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। व प्रतिवादी सं० 3 की तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं० 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने पत्रावली को कब्जा काश्त व अच्छी मंदी के हिसाब से डीकी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण व वादी

वादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर हरसाक्षर अंकित कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप में जाने पर सहमति प्रकट की।

हमारे द्वारा अग्निमापकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में दादी ने रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 10/11 के मु० न० 49 के किला न० 12 की 0.253 नहरी एव रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21 की 0.253 है०, किला न० 23/1 की 0.152 है०, किला न० 23/2 की 0.101 है०, मु० न० 49 के किला न० 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 7 की 0.240 है०, किला न० 8 ता 11 प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल रकवा 2.7700 है० जिसमें नहरी 2.6690 है०, गै० मु० नहर 0.101 है० अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोप डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

इस्लाम खां पुत्र हाजी रहमतुला खां जाति कायमखानीसाकिन भादरा खातेदार—

रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21/1 की 0.211 है०, मु० न० 49 के किला न० 1 की 0.253 है०, किला न० 2 की 0.253 है०, किला न० 3/1 की 0.228 है०, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता कुल रकवा 0.970 है० जिसमें नहरी 0.945 है०, गै० मु० रास्ता 0.025 है०

अयूब खां, लाल खां पि० असलम खां जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार— रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 21/2 की 0.042 है०, किला न० 22/1 की 0.169 है०

मु० न० 49 के किला न० 11, 12 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 10 की 0.0585 है० किला न० 9 की 0.0585 है०, किला न० 8 की 0.0585 है०, किला न० 7 की 0.0585 है०, किला न० 7/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता कुल रकवा 0.976 है० जिसमें नहरी 0.951 है०, गै० मु० रास्ता 0.025 है०

नूरबानों पत्नी हबीबखां खां जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार— रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं० 15/9 के मु० न० 47 के किला न० 22/2 की 0.084 है०, किला न० 23/1 की 0.127 है०, किला न० 23/2 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 23/3 की 0.101 है० गै० मु० नहर,

मु० न० 49 के किला न० 9/2 की 0.070 है०, किला न० 10/2 की 0.1945 है० कुल रकवा 0.6015 है० जिसमें नहरी 0.4755 है० गै० मु० रास्ता 0.025 है०, गै० मु० नहर 0.101 है०

आमना बानो पत्नी अजीज जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार— रोही मौजा चक 7 बीएचडी मु० न० 49 के किला न० 7/2 की 0.1565 है०, किला न० 8/2 की 0.1945 है०, किला न० 9/3 की 0.1245 है० कुल रकवा 0.4755 है० नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। पूर्व में दर्ज गै० मु० खाला रास्ता व किस्म भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .../.../... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड (कल्पित शिवरान)
मदरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़